



क्र./समग्र/2017/153/617

भोपाल, दिनांक 10/11/2017

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर (जिला मिशन लीडर)
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत (जिला उप मिशन लीडर) मध्यप्रदेश।

विषय :- समग्र डेटाबेस को अद्यतन रखने के संबंध में।

जैसा कि आपको विदित है, समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन के तहत समग्र डेटाबेस का निर्माण किया गया है जिसमें प्रदेश के हर नागरिक की शासकीय हितग्राहीमूलक योजनाओं से संबंधित जानकारी संधारित की जाती है। इस डेटाबेस में संधारित जानकारी का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश शासन के विभिन्न विभागों द्वारा उनकी विभिन्न हितग्राहीमूलक योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। डेटाबेस अद्यतन रखने से वर्तमान योजनाओं के पारदर्शी एवं सक्रिय (pro-active) क्रियान्वयन के साथ-साथ नवीन योजनाओं को विकसित करने में शासन स्तर पर सहायता मिलती है। सामाजिक पंजी (social registry) के रूप में समग्र के महत्व को देखते हुए ही जिला कलेक्टर को जिला में समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन के लिए मिशन लीडर भी शासन द्वारा निर्धारित है।

2. प्रायः यह देखने में आया है कि समग्र डेटाबेस को अद्यतन (update) रखने में ग्रामीण एवं नगरीय निकायों द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। समग्र डाटा की सत्यता (authenticity) बनाया रखना शासन के लिए अति महत्वपूर्ण होने के बावजूद स्थानीय निकायों द्वारा ध्यान नहीं दिए जाने से जानकारी अद्यतन नहीं रह पाती। स्थानीय अधिकारियों के द्वारा जानकारी अद्यतन नहीं पायी जाने पर भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं किये जाने से समग्र डेटाबेस अद्यतन रखने में कमियां परिलक्षित हो रही है। मुख्य रूप से यह कमियां निम्नानुसार हैं :-

- 1.1 जन्म का पंजीयन नहीं होना।
- 1.2 मृत्यु का पंजीयन नहीं होना।
- 1.3 विवाह का पंजीयन नहीं होना।
- 1.4 एक ही व्यक्ति का एक से ज़्यादा समग्र id बनाया जाना।
- 1.5 उपरोक्त 2.4 को सुधार हेतु दिए गए merge (विलय) सुविधा से अलग अलग लोगों को विलय करना।
- 1.6 डुप्लीकेट हुए id को fake अंकित कर डेटाबेस से हटाना - अगर दोहरीकरण किसी योजना विशेष के लिए हुए थे तो इससे भविष्य में tracking में समस्या आती है।
- 1.7 व्यक्तिगत जानकारी का नहीं करना या गलत इंद्राज करना।

3. उपरोक्त स्थिति में कलेक्टर से निम्नानुसार कार्रवाई अपेक्षित है :-

- 3.1 15-30 नवम्बर 2017 में अभियान के रूप में सभी प्रदेशवासियों को समग्र डेटाबेस में आधार फीडिंग कराया जाए (पृथक निर्देश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से भी जारी है)
 - 3.2 प्रत्येक समग्र व्यक्तिगत id के लिए **eKYC authentication** करवाए (इस सन्दर्भ में पृथक आदेश जारी किये जाएंगे)
 - 3.3 प्रत्येक परिवार को **geotagging** के माध्यम से नक्शे पर अंकित कराये (इस सन्दर्भ में पृथक आदेश जारी किये जाएंगे)
 - 3.4 समग्र डेटाबेस को अद्यतन रखने के लिए स्थानीय निकायों को सख्त निर्देश दिए जाए - समग्र के आधार पर शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन की जाती है। समग्र में गलत जानकारी इंद्राज करना शासकीय योजना में प्रभक्षण करने का प्रयास मानते हुए कार्रवाई अविषयक है।
 - 3.5 स्थानीय अधिकारियों के भ्रमण में समग्र डाटा को **cross-check** करने के लिए निर्देश दिया जाए - जैसे नवीन जन्म का इंद्राज समग्र में हुए या नहीं, हाल में हुई मृत्यु दर्ज है या नहीं, किसी व्यक्ति की id में दोहरीकरण तो नहीं ?
 - 3.6 **census** (जनगणना) के आधार पर प्रत्येक गांव में / वार्ड में अपेक्षित जनसंख्या की तुलना समग्र में दर्ज संख्या से तुलना करने पर समग्र की सत्यता परखी जा सकती है ।
 - 3.7 समग्र डेटाबेस में आगे से त्रुटि न हो इस के लिए एवं समग्र डेटाबेस में अभी पाए जा रहे त्रुटियों को सही रूप से निराकरण करने के लिए पंचायत / नगरीय निकाय में प्रशिक्षण आयोजित करना
 - 3.8 समग्र डेटाबेस में पाए जा रहे कमी / त्रुटि के लिए मैदानी स्तर पर ज़िम्मेदारी निर्धारण करते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई करना
- आशा है कि आप इन बिन्दुओं को गंभीरता से लेते हुए आपके क्षेत्राधिकार के समस्त ग्राम पंचायत/ वार्ड प्रभारियों को निर्देशित करें कि वे समग्र डेटाबेस को अद्यतन रखने की कार्यवाही में सुनिश्चित करेंगे।

(रघुराज राजेन्द्रन)

मिशन संचालक

समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन म.प्र.

भोपाल, दिनांक 10/11/2017

पृ.क्र./समग्र/2017/153/ 618

प्रतिलिपी:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग।
2. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
3. समस्त आयुक्त, नगर निगम, मध्यप्रदेश।
4. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर परिषद, मध्यप्रदेश।
5. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश।

मिशन संचालक

समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन म.प्र.